न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई०ए०एस०

नामा० अपील सं० 15/2022

1. भोंरीलाल
2. लटूर
3. रामजीलाल

पिसरान कन्हैयालाल जाति जोगी निवासी जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
..अपीलांट्स

बनाम

1. सोमोती पत्नि हरला उर्फ हरलाल दत्तक पुत्र बिरदा
2. बुद्धीसिंह
3. मुंशी
4. शिवलाल
5. हीरालाल
6. किरोडी
7. बिरमा
8. रूमाली

पिसरान हरला उर्फ हरलाल दत्तक पुत्र बिरदा जाति जोगी निवासी जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा

9. केशन्ती पुत्री स्व.बिरदा पत्नि रमेश जाति जाति जोगी निवासी जौपाडा हाल निवासी भांवता तहसील बसवा बांदीकुई जिला दौसा
10. रंगलाल पुत्र कन्हैया जाति जोगी निवासी जौपाडा तहसील दौसा जिला दौसा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा

..रेस्पो०

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं0 107 दिनांक 16.10.2001 द्वारा तस्दीक तहसीलदार दौसा विरासत कन्हैया पुत्र पांचू मृतक का

उपस्थित–1.श्री रामलाल गोठवाल अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से
2. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

<u>निर्णय</u> दिनांक: 01.06.2023

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 16.10.2001 को ग्राम जौपाडा का नामान्तरण सं0 107 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम 1963 के साथ प्रस्तुत की गई है।

अपील मियाद के अधीन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक कन्हैया की विरासत का नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व कोई कार्यवाई एवं सबूत का अवसर नहीं दिया न ही इस संबंध में कोई जांच की गई। अपीलांट का उक्त भूमि पर पूर्व से कब्जा चला आ रहा है। हरला उर्फ हरलाल का कभी भूमि पर कब्जा नहीं रहा है। अपीलांट द्वारा दिनांक

निरंतर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

8.4.2022 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 8.4.2022 को प्राप्त हुई। जिसके पश्चात प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार दौसा को तमाम तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया। अपीलांट अनपढ अशिक्षित व्यक्ति है। जिनको मियाद संबंधी जानकारी नहीं है। जानकारी की अभाव में अपील पेश नहीं कर सके। अपील जानकारी के अंदर मियाद पेश की जा रही है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार करने एवं डिले कन्डोन फरमाई जावे। बहस प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गुणागुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः डिले कन्डोन की जाकर अपील अंदर मियाद मानी जाती है।

Web Copy - Not Official

मूल नामान्तरण अपील पर अधिवक्ता अपीलांट्स एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि अपीलांट्स व रेस्पो. सं0 1 से 6 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। बिरदा पुत्र पांचू के कोई जाईदा पुत्र नहीं होकर केवल 4 पुत्रियां ही थी। इसलिए बिरदा पुत्र पांचू जो कि कन्हैया का सगा भाई था, ने कन्हैया के पुत्र हरला उर्फ हरलाल को अपने जीवनकाल में ही गोद ले लिया था। गोद लेने के उपरांत हरला उर्फ हरलाल बिरदा पुत्र पांचू के पास बतौर पुत्र रहता था तथा उसकी देखरेख करता था। बिरदा पुत्र पांचू की मृत्यु के उपरांत उसके सारे किया कर्म हरला उर्फ हरलाल ने ही किये थे तथा उसकी पगडी भी हरला उर्फ हरलाल के ही बंधी है। हरला उर्फ हरलाल बिरदा पुत्र पांचू का गोदपुत्र है तथा बिरदा के हिस्से की भूमि का भी हरला उर्फ हरलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। बिरदा की पुत्रियों द्वारा एक हक त्याग दिनांक 18.4.2016 को उप पंजीयक दौसा के यहाँ हरला उर्फ हरलाल के पक्ष में पंजीयन कराया है जिसमें अंकित सजरे में भी हरला उर्फ हरलाल को बिरदा का पुत्र होना दर्शाया गया है। हरला उर्फ हरलाल बिरदा पुत्र पांचू का गोदपुत्र है ना कि जाईन्दा तथा बिरदा पुत्र पांचू के हिस्से की भूमि पर काबिज है व बतौर खातेदार दर्ज है। हरला उर्फ हरलाल दोनों एक ही व्यक्ति है किन्तु हरला उर्फ हरलाल एक चालाक एवं धूर्त किस्म का व्यक्ति है जिसने चालाकी से एक जगह तो हरला पुत्र कन्हैया व एक शामलाती खाते में हरलाल पुत्र बिरदा अंकित करा रखा हैं। ग्राम जौपाडा में आराजी खसरा नंबर 851 से 853, 879, 880कुल किता 5 रकबा 1.28है. भूमि जिसकी खातेदारी साबिक में कन्हैया पुत्र पांचू के नाम से दर्ज रिकार्ड है। कन्हैया पुत्र पांचू के फौत होने पर हरला उर्फ हरलाल जो कि एक ही व्यक्ति है ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके कन्हैया पुत्र पांचू जो कि अपीलांटस का पिता था, के स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामान्तरण हिसा 1/5 हरला पुत्र कन्हैया के नाम से तस्दीक करवा लिया व 1/5 किस्से की खातेदारी दर्ज करवा ली एवं शामलाती खाता सं. 99 कुल रकबा 3.80है. में भी कन्हैया पुत्र पांचू के हिस्सा 1/5 का दर हिस्सा 1/25 हिस्से का भी नामान्तरण तस्दीक करवा लिया। कानूनन यदि कोई व्यक्ति गोद चला जाता है तो उसका प्राकृतिक पिता की संपत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं रह जाता है। तहसीलदार दौसा ने कन्हैया की विरासत का नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व न तो अपीलांट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका दिया और ना ही इस संबंध में कोई जांच की एवं चुपचाप में ही दिनांक [illegible] नामान्तरण सं0 107 विरासत का कन्हैया का तस्दीक कर दिया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं हुई क्योंकि उक्त भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है, हरला उर्फ हरलाल का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। हरला उर्फ हरलाल पुत्र बिरदा की दिनांक 20.3.2022 को मृत्यु हो गई है। अपीलांट देहाती, अनपढ अशिक्षित लोग हैं जो जानकारी के अभाव में अपील पेश नहीं कर सके। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:44 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

फरमाया जावे अथवा हरला उर्फ हरलाल पुत्र कन्हैया जो नामान्तरण में दर्ज हो रहा है उसे हजफ किया जावे या फिर तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जावे कि अपीलांट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का अवसर देकर तथ्यों की विधिवत जांच कर पुनः नामान्तरण तस्दीक करें।

अधिवक्ता रेस्पो. स. 1 से 09 व 10 को बार–2 आवाज दिलवाई गई किन्तु वे उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि तहसीलदार दौसा द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण को तस्दीक किया गया है। कन्हैया पुत्र पांचू के फौत होने पर मृतक के वारिसान की जांच की जाकर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण भरकर पेश किया गया जिसकी जांच भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई है। तत्पश्चात तहसीलदार दौसा द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2001 में प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक किया गया है, जो मजमें आम में किया गया है। अपीलांटस द्वारा वर्ष 2001 में तस्दीक किये गये नामान्तरण को 20 वर्ष से भी अधिक विलंब से अपील पेश की गई है। विलंब का कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त फरमाई जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 16.10.2001 को ग्राम जौपाडा का प्रश्नगत नामान्तरण तस्दीक किया गया है। प्रश्नगत नामान्तरण में मृतक कन्हैया के फौत होने पर उनके वारिसान भोंरीलाल, लटूर, रामजीलाल, हरला पि. कन्हैया व रामप्यारी बेवा कन्हैया जाति जोगी के नाम विरासत का नामान्तरण प्रशासन गांव के संग अभियान में तस्दीक किया गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी खाता सं0 98 में अंकित भूमि खसरा नंबर 851 से 853, 879, 880 कुल किता 5 रकबा 1.28है. वाके ग्राम जौपाडा में स्थित है में हरलाल पि. कन्हैया लाल वल्दियत अंकित है। इ0000सके अतिरिक्त पत्रावली मेंसंलग्न जमाबंदी खाता सं0 99 में अंकित भूमि खसरा नंबर 479, 479/901, 480 से 487, 809 से 812 कुल किता 14 रकबा 3.80 है. में हरला पुत्र कन्हैया का हि. 1/25 एवं हरलाल पुत्र बिरदा का हि. 1/25 अंकित है। जमाबंदी खाता सं. 89 के अवलोकन से यह स्प ज्ञात होता है कि एक ही खाते में हरला पुत्र कन्हैया व हरलाल पुत्र बिरदा अंकित है। पत्रावली में संलग्न 851 से 853, 879, 880 कुल किता 5 रकबा 1.28है. वाके ग्राम जौपाडा में स्थित है में हरलाल पि. कन्हैया लाल वल्दियत अंकित है। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड हक त्याग जो कि उप पंजीयक दौसा द्वारा दिनांक 18.4.2016 को तस्दीक किया गया है में अंकित सजरा के अनुसार भी हरलाल को बिरदा का वारिस बताया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस नामान्तरण सं0 688 दिनांक 14.10.2022 की प्रति एवं हरलाल के आधार कार्ड की प्रति भी प्रस्तुत की गई। आधार कार्ड के अवलोकन से भी हरलाल की वल्दियत बरदू ही अंकित है। कानूनन यदि कोई व्यक्ति गोद चला जाता है तो उसका प्राकृतिक पिता की संपत्ति में कोई हक व अधिकार नहीं रह जाता है। हरला उर्फ हरलाल द्वारा बिरदा की भूमि का संपूर्ण हिस्सा कन्हैया की विरासत में भी हिस्सा प्राप्त किया है जो न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए प्रकरण में सीधे कोई कार्यवाही न कर प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमांड किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:44 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 107 पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10. 2001 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार दौसा को इस आशय से प्रकरण रिमांड

निरंतर 4 पर

जिला कलक्टर,दौसा

किया जाता है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में एवं अपीलांटस द्वारा उठाई गई आपत्तियों एवं गोदनामा व हक त्याग को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 01 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:54:44 IST
Reason: SelfAttested